बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना
संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के रिक्त 23 (तेईस) पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद से सेवानिवृत कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. संविदा पर नियोजन हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है–

कोटिवार अनुमान्यता निम्नांकित है-

क्र. सं.	आरक्षण कोटि	पदों की कुल संख्या	महिला के लिए क्षैतिज आरक्षित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	सामान्य	12	04	योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।
2.	अनुसूचित जाति	03	01	
3.	पिछड़ा वर्ग	03	01	
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04	01	
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	01	01	
	कुल	**23**	**08**	

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के तहत 1 (एक) पद दृष्टि दिव्यांग को अनुमान्य होगा।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण, नियमों के साथ-साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती/नाती-नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

5. नियोजन प्रथमतः दो वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत किया जाएगा।

6. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि–

(क) उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दण्डित नहीं हैं।

(घ) उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

9. आवेदक द्वारा सेवा के अंतिम पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाय।

10. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

11. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

12. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3815 दिनांक 11.03.2016 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

13. आरक्षण कोटि के विरुद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी.पी.ओ. की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(46)

14. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को सरकारी सेवक के रूप में मान्यता नहीं होगी और न ही नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य होगा।

15. अनुबंध के आधार पर नियोजित अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का सेवा अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा, इसके लिए किसी प्रकार का आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।

16. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित किया जायेगा।

17. आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से अथवा हाथो-हाथ दिनांक 06.12.2017 (अपराह्न 5.00 बजे) तक सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना, द्वितीय तल, विंग-4 (सिंचाई भवन के पीछे), पुराना सचिवालय, पटना-15 के पते पर प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. संबंधित सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

19. किसी भी समय इस सूचना को बिना कारण बताए रद्द किये जाने का अधिकार विभाग को होगा।

20. उक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

08/XI/17

विशेष कार्य पदाधिकारी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना

बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायक का संविदा के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

फोटो

विहित–प्रपत्र

1	आवेदक (सेवानिवृत सहायक) का नाम मोबाईल संख्या ई–मेल आई0डी0	: : :	
2	अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम	:	
3	जन्म तिथि	:	
4	लिंग (पुरुष/महिला)	:	
5	शैक्षणिक योग्यता	:	
6	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
7	वर्तमान पता	:	
8	स्थायी पता	:	
9	नियुक्ति की तिथि (सहायक पद पर)	:	
10	सेवानिवृति की तिथि	:	
11	विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत हुआ है	:	
12	विभिन्न विभागों में सहायक के पद पर अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि	:	
13	पी0पी0ओ0 संख्या (पी0पी0ओ0 का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	:	
14	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लम्बित है या नहीं	:	
15	सेवाकाल के दण्ड	:	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम है।

तिथि :

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर